

राष्ट्रीय जलमार्ग 2 (ब्रह्मपुत्र) का राष्ट्रीय जलमार्ग 1 (गंगा) से जुड़ाव

प्रलिमिस के लिये:

अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग, भारत-बांग्लादेश (सोनमुरा-दाउदकंडी), भारत-म्यांमार प्रोटोकॉल (कलादान)।

मेन्स के लिये:

अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग नेटवर्क के लाभ और चुनौतियाँ, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग हेतु शुरू की गई पहल।

चर्चा में क्यों?


हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री ने गुवाहाटी (असम) में बांग्लादेश के रास्ते पटना से पांडु बंदरगाह तक खाद्यान्न की पहली खेप के परिवहन का स्वागत किया।

- असम और पूर्वोत्तर भारत के लिये अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन के एक नए युग की शुरुआत करते हुए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI), इनडब्ल्यू-1 और इनडब्ल्यू-2 के बीच एक निर्धारित अनुसूचित नौकायन की योजना बना रहा है।
- अंतर्राष्ट्रीय पोत विधिक, 2021 को अंतर्राष्ट्रीय जहाजों की सुरक्षा और पंजीकरण को विनियमित करने के लिये भी अनुमोदित किया गया था।

महत्व:

- इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट (आईबीआरपी) में जहाजों के माध्यम से कारगों की आवाजाही की शुरुआत पूर्वोत्तर के पूरे क्षेत्र के लिये आर्थिक समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है।
- यह अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन के विकास और वृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा।
- यह व्यापार समुदाय को एक व्यवहार्य, आर्थिक और पारस्थितिक विकालप भी प्रदान करेगा तथा भारत के पूर्वोत्तर के विकास हेतु महत्वपूर्ण भूमिका नभिएगा।
- बांग्लादेश के माध्यम से ऐतिहासिक व्यापार मार्गों को फिर से जीवंत करने के निर्दिश प्रयास को प्रधानमंत्री गतिशक्ति के तहत प्रोत्साहन मिला।
 - यह कल्पना की गई है कि पूर्वोत्तर धीरे-धीरे एक कनेक्टिविटी हब के रूप में परिवर्तित हो जाएगा।
 - पीएम गतिशक्ति के तहत एकीकृत विकास योजना की प्रक्रिया की गई है ताकि ब्रह्मपुत्र के पर कारगों की तेज़ी से आवाजाही हो सके।

THE 13 NATIONAL WATERWAYS NOW IN OPERATION



THE LINKS AND THE LENGTHS

NW-1	Ganga-Bhagirathi-Hooghly (Haldia-Allahabad)	1,620 km
NW-2	Brahmaputra river	891 km
NW-3	West Coast Canal-Champakara Canal-Udyogmandal Canal	205 km
NW-4	Krishna (Muktiyala-Vijayawada)	82 km
NW-10	Amba river	45 km
NW-83	Rajpuri Creek	31 km
NW-85	Revadanda Creek-Kundalika river	31 km
NW-91	Shastri river-Jaigad Creek System	52 km
NW-68	Mandovi river (Usaon Bridge-Arabian Sea)	41 km
NW-111	Zuari river (Sanvordem Bridge-Marmugao Port)	50 km
NW-73	Narmada river	226 km
NW-100	Tapi river	436 km
NW-97	Sunderbans Waterways	172 km

अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग:

परचिय:

- भारत में लगभग 14,500 किलोमीटर नौगम्य जलमार्ग है जस्ति नदियाँ, नहरें, बैकवाटर, खाड़ियाँ आदि शामिल हैं।
- राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अनुसार, 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग (NWs) घोषित किया गया है।
 - NW-1: गंगा-भागीरथी-हुगली नदी परिवारी (प्रयागराज-हल्दया) 1620 किमी. लंबाई के साथ भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है।
 - भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWA) विश्व बैंक की तकनीकी और वित्तीय सहायता से गंगा के हल्दया-वाराणसी खंड (NW-1 का हिस्सा) पर नेविगेशन की क्षमता बढ़ाने के लिये [जल मार्ग विकास परियोजना \(JMPV\)](#) को लागू कर रहा है।
- इस संबंध में उठाए गए कदम:
 - जलमार्गों को [प्रवान्गी और पश्चिमी डेडक्रिटेड फ्रेट कॉरिडोर](#) (DFCs) के साथ-साथ सागरमाला परियोजना से भी जोड़ा जाएगा, जस्ति का उद्देश्य बंदरगाह के नेतृत्व वाले प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विकास को बढ़ावा देना है।
 - इसके अलावा बांग्लादेश और म्यांमार जलक्षेतर के माध्यम से माल के परविहन को सुविधाजनक बनाने वाले [भारत-बांग्लादेश \(सोनमुरा-दाउदकांडी\) और भारत-म्यांमार परोटोकॉल \(कलादान\)](#) के प्रावधान जो किर्द मालों में भारत के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों को नरितरता प्रदान करते हैं, भारत के उत्तर-पूर्वी भागों में त्वरित शिपिंग तथा बाज़ार में गहरी पैठ को सक्षम बनाते हैं।

भारत में अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग की उपयोगता:

- अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन (Inland Water Transport- IWT) द्वारा वार्षिक रूप से लगभग 55 मिलियन टन कार्गो का परिवहन किया जा रहा है जो एक ईंधन-कुशल और प्रयावरण अनुकूल साधन है।
 - हालाँकि विकिस्ति देशों की तुलना में भारत में माल ढुलाई के लिये जलमार्ग का अत्यधिक उपयोग किया जाता है।
- इसका संचालन वर्तमान में गंगा-भागीरथी-हुगली नदियों, ब्रह्मपुत्र, ब्राह्मणी नदी (पूर्वोत्तर भारत), गोवा में नदियों, केरल में बैकवाटर, मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय जल और गोदावरी-कृष्णा नदी के डेल्टा क्षेत्रों में कुछ हिस्सों तक सीमित है।
- मशीनीकृत जहाज़ों द्वारा इन संगठित संचालनों के अलावा अलग-अलग क्षमता की देशी नावें भी विभिन्न नदियों एवं नहरों में संचालित होती हैं और इस असंगठित क्षेत्र में भी प्रयाप्त मात्रा में कार्गो और यात्रियों को ले जाया जाता है।
- IWT में भारत में अत्यधिक व्यस्त रेलवे और भीड़भाड़ वाले रोडवेज का पूरक बनने की क्षमता है। कार्गो की आवाजाही के अलावा IWT क्षेत्र वाहनों की ढुलाई [फेरी के रोल-ऑन-रोल-ऑफ (रो-रो) मोड] और प्रयटन जैसी संबंधित गतिविधियों को सुविधाजनक बनाता है।

अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग नेटवर्क के लाभ:

■ परविहन का सस्ता तरीका:

- जलमार्ग उपलब्ध वकिलपों की तुलना में परविहन का एक सस्ता साधन है, जो माल परविहन की बढ़ि-दर-बढ़ि लागत को काफी कम करता है।
- यह समय, माल और कारगों के परविहन की लागत के साथ-साथ राजमार्गों पर भीड़भाड़ और दुर्घटनाओं को भी कम करता है।
- नेटवर्क को हरति क्षेत्र नविश की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सुधार/उन्नयन के लिये केवल पूँजीगत व्यय (पूँजीगत व्यय) की आवश्यकता है।

■ नरिबाध इंटरकनेक्टिविटी:

- अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग नेटवर्क द्वारा "नौवहन योग्य नदी तटों और तटीय मार्गों के साथ भीतरी इलाकों को जोड़ने वाली नरिबाध अंतर्राष्ट्रीय स्थापति करने में मदद" की उम्मीद की जाती है और ये अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग "उत्तर-पूर्वी राज्यों को मुख्य भूमि से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका नभिन्न में मददगार साबित हो सकते हैं।"

कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियाँ:

■ संपूरण वर्ष के दौरान एकसमान नौगम्यता का अभाव:

- कुछ नदियाँ मौसमी होती हैं और पूरे वर्ष नौवहन क्षमता प्रदान नहीं करती हैं। 111 चहिनति राष्ट्रीय जलमार्गों में से लगभग 20 कथति तौर पर अव्यवहार्य पाए गए हैं।

■ गहन पूँजी और रखरखाव की आवश्यकता:

- सभी चहिनति जलमार्गों के लिये गहन पूँजी एवं रखरखाव की आवश्यकता होती है, जिसका स्थानीय समुदाय द्वारा प्रयावरणीय आधार पर वर्तीय किया जा सकता है, जिसमें वस्थापन की आशंका भी शामिल है, जिसके चलते कार्यान्वयन की चुनौतियाँ सामने आती हैं।

■ पानी के अन्य उपयोग:

- पानी के महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्द्धी उपयोग भी हैं, जैसे- सचिवाई और बजिली उत्पादन आदि जैसी आवश्यकताएँ शामिल हैं। स्थानीय सरकार या अन्य लोगों के लिये इन ज़रूरतों की अनदेखी करना संभव नहीं होगा।

■ केंद्र सरकार का वशीष्ट क्षेत्राधिकार:

- संसद के एक अधिनियम द्वारा केंद्र सरकार का अनन्य अधिकार क्षेत्र केवल 'राष्ट्रीय जलमार्ग' घोषित किया गए अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर शपिगि एवं नेवगिशन तक सीमित है।
- अन्य जलमार्गों में जहाज़ों का उपयोग/नौकायन समवर्ती सूची के दायरे में है या संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में है।

आगे की राह

- प्रतिस्पर्द्धी आवश्यकताओं के साथ पानी एक दुर्लभ संसाधन होने के कारण, परविहन के लिये इसके उपयोग को उचित ठहराना मुश्किली हो सकता है। हालाँकि, वभिन्न लाभों को ध्यान में रखते हुए और व्यावसायिक व्यवहार्यता, रोज़गार व आर्थिक वकिस के कई अवसरों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय जलमार्ग का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है।
- एक प्रभावी जलमार्ग नेटवर्क के लिये राष्ट्रीय नेटवर्क और अन्य जलमार्गों के बीच पूरकता को ध्यान में रखते हुए एक बेहतर रूप से समन्वयित रणनीति तैयार करने की आवश्यकता होगी।
 - इस रणनीति के लिये वभिन्न अंतरधाराओं पर बारीकी से ध्यान देना होगा, जिसमें प्रतिस्पर्द्धी उपयोग और संभावित स्थानीय प्रतिरोध आदि शामिल हैं, साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय परियोजना के त्वरित व सफल कार्यान्वयन हेतु स्थानीय सरकारों के साथ मिलकर काम किया जाए।

स्रोत: पी.आई.बी.